



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2025 ई0 (भाद्रपद 15, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-36

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	771-778	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	301-306	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	365-372	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

26 अगस्त, 2025 ई०

संख्या-05 नो-जी/XXXVI-A-1/2025-04 नो-जी/2008-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती राधा रानी, अधिवक्ता को दिनांक 26-08-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील पोखरी, जिला चमोली में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती राधा रानी, का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 05 No-G/XXXVI-A-1/2025-04 No-G/2008**, dated August 26, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

August 26, 2025

No. 05 No-G/XXXVI-A-1/2025-04 No-G/2008--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mrs. Radha Rani, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 26-08-2025 for **Tehsil Pokhari, District Chamoli** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mrs. Radha Rani** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

26 अगस्त, 2025 ई०

संख्या-12 नो-L/XXXVI-A-1/2025-05 नो-एल/2004-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री गणेश दत्त काण्डपाल, अधिवक्ता को दिनांक 26-08-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री गणेश दत्त काण्डपाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 12 No-L/XXXVI-A-1/2025-05 No-L/2004**, dated August 26, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

August 26, 2025

No. 12 No-L/XXXVI-A-1/2025-05 No-L/2004--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Ganesh Datt Kandpal, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 26-08-2025 for **Tehsil Lalkuan, District Nainital** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Ganesh Datt Kandpal** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

26 अगस्त, 2025 ई०

संख्या-38 नो-I/XXXVI-A-1/2025-05 नो-आई/2015-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री रुद्र सिंह पण्डा, अधिवक्ता को दिनांक 26-08-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़ में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री रुद्र सिंह पण्डा का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रशान्त जोशी,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 38 No-I/XXXVI-A-1/2025-05 No-I/2015**, dated August 26, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

August 26, 2025

No. 38 No-I/XXXVI-A-1/2025-05 No-I/2015--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Rudra Singh Panda, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 26-08-2025 for **Tehsil Munsyari, District Pithoragarh** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Rudra Singh Panda** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRASHANT JOSHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

28 जुलाई, 2025 ई०

पत्रांक-2142/तीन-110/च०सं०/2025-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-472/XVIII(3)/2025-03 (07)/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, परगना मंगलौर, तहसील लक्सर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1-	रजबपुर	लक्सर	मंगलौर	हरिद्वार

रंजना राजगुरु,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-02

अधिसूचना

26 अगस्त, 2025 ई०

संख्या-725/XXVIII-2-2025-1(16)/2025-राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियम, 2025 के नियम 3 के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि नियंत्रक/नियंत्रक प्राधिकारी (Controlling Authority) उत्तराखण्ड को शमन प्राधिकारी (Compounding Authority) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा० आर० राजेश कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 725/XXVIII-2-2025-1(16)/2025, dated August 26, 2025 for general information.

NOTIFICATION

August 26, 2025

No. 1120/XXVIII-2-2025-1(16)/2025, --In exercise of the powers conferred by sub rule (2) of rule 3 of the Drugs and Cosmetics (Compounding of Offences) Rules, 2025, the Governor, is pleased to allow to appoint the Drug Controller/Controlling Authority Uttarakhand as the Compounding Authority.

By Order,

Dr. R. RAJESH KUMAR,

Secretary.

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

26 अगस्त, 2025 ई0

संख्या-I/325211/2025/VIII-1/2025-70(श्रम)2001 पार्ट-II. (Comp no 64303)-रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-272/UHC/Admin.A-2/2025, दिनांक 22 अगस्त, 2025 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तों) नियमावली-1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-89 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, हरिद्वार में नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री नितिन शर्मा, अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून को सामान्य प्रचलित शर्तों के अधीन पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-श्री नितिन शर्मा, अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा सप्ताह में तीन (03) दिन श्रम न्यायालय, हरिद्वार का संचालन किया जायेगा। इस हेतु श्री शर्मा को कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ते इत्यादि देय नहीं होंगे।

आज्ञा से,

डा0 श्रीधर बाबू अद्दांकी,
सचिव।

सहकारिता अनुभाग-1

अधिसूचना

02 सितम्बर, 2025 ई0

संख्या-366/XIV-1/2025-09(09)/2010-उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 2004 के नियम 411 के साथ पठित उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 122 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल उत्तराखण्ड सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल (जिसे एतदपश्चात् मण्डल कहा गया है) नामक प्राधिकरण को शीर्ष स्तर समितियों, केन्द्रीय समितियों या प्रारम्भिक समितियों, जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जिले में हो, जिला सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों, जिला सहकारी फेडरेशनों, सहकारी दुग्ध संघों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अनुशासनिक नियन्त्रण के लिए संघटित करते हैं:-

उत्तराखण्ड सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल

1-मण्डल में निम्नलिखित होंगे:

(1) निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, सेवामण्डल का पदेन सभापति होगा।

(2) दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी सेवा प्रथम श्रेणी के सेवारत अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जो संयुक्त निबन्धक से अनिम्न होंगे।

2- मण्डल का कोई सदस्य अपना पद भार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और उक्त अवधि इस शर्त के अधीन रहते हुये समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है कि ऐसी बढ़ायी गयी कुल अवधि पाँच वर्ष से अधिक न हो अथवा जब तक वह 60 वर्ष की आयु का न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो।

3- (1) मण्डल का एक सचिव और उसके अन्य कर्मचारीगण होंगे जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार, मण्डल को अपना कार्य चला सकने के लिये समय-समय पर स्वीकृति देगी।

(2) मण्डल के सचिव तथा अन्य कर्मचारीगणों की नियुक्ति मण्डल द्वारा की जायेगी और वे सभापति के प्रशासकीय नियन्त्रण में होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति प्रशासकीय नियन्त्रण सम्बन्धी अपनी कोई भी शक्ति मण्डल के किसी सदस्य को प्रतिनिहित कर सकता है।

(3) मण्डल का सचिव उप निबन्धक के पद को धारित करने वाला अधिकारी होगा।

4- मण्डल के सभापति, सदस्यों तथा कर्मचारीगणों की परिलक्षियां राज्य सरकार द्वारा अवधारित तथा भुगतान की जायेगी।

5- सभापति या कोई सदस्य उस दिनांक से, जब से उसमें सभापति या सदस्य, जैसी भी दशा हो, के लिये आवश्यक अर्हतायें न रह जायें, अपने पद पर नहीं रहेगा।

6- राज्य सरकार, सभापति या किसी सदस्य को हटा सकती है जब उसकी राय में वह -

(क) ऐसे सभापति या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य पालन के प्रति दुराचरण अथवा घोर उपेक्षा करने का दोषी हो, या

(ख) विकृत चित्त हो जाए, अथवा बहरा तथा गूंगा या अन्धा अथवा कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाए, या

(ग) नैतिक पतन सम्बन्धित किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो, या

(घ) किसी सहकारी समिति का किसी ऋण अथवा ऋणों के सम्बन्ध में जो उसने लिये हों (कम से कम छः महीने की अवधि के लिये) बकायेदार हो, अथवा निर्णीत ऋणी हो, या

(ङ.) किसी सहकारी समिति में किसी वैतनिक अथवा अवैतनिक पद पर हो।

7- मण्डल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य केवल तभी ग्रहण करेगा जब उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त कर ली जाए।

8- मण्डल का मुख्यालय देहरादून में रखा जायेगा किन्तु वह अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के सम्पादनार्थ राज्य के भीतर किसी भी स्थान में अपनी बैठकें बुला सकता है।

9- मण्डल कार्य-

(क) चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती मण्डल द्वारा की जायेगी।

(ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर भर्ती निबन्धक द्वारा गठित चयन कमेटी के माध्यम से की जायेगी। उक्त चयन समिति द्वारा किया गया चयन और उसके आधार पर की गई नियुक्तियां अन्तिम होंगी तथा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(ग) किसी सहकारी समिति में नियुक्तियों के लिये भर्ती मण्डल के अधिकार क्षेत्र में होगी चाहे भर्ती:-

1- सीधी हो, या

2- समिति की सेवा में पहले से कार्यरत कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा हो, या

3- प्रतिनियुक्ति पर किसी व्यक्ति को, जो अधिनियम के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली किसी अन्य समिति की सेवा में पहले से हो,

(घ) परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से सहकारी बैंकों के विभिन्न पदों (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) में भर्ती परीक्षाएं बैंकिंग क्षेत्र में भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराये जाने वाले प्रतिष्ठित संस्थान बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई0बी0पी0एस0) के माध्यम से करायी जायेगी।

10- मण्डल संघटित होने के तीन महीने के भीतर भर्ती, परिलक्षियां, सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, विनियम बनायेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

आज्ञा से,

डॉ० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम,
सचिव।

NOTIFICATION

September 02, 2025

No. 366/ XIV-I/2025-09(09)2010--In pursuance of the provisions of section-122(1) of the Uttarakhand Co-operative Societies Act, 2003 read with rule-411 of the Uttarakhand Cooperative Societies Rule, 2004, the Governor is pleased to constitute the following authority known as the Uttarakhand Cooperative Institutional Service Board (hereinafter referred to as the Board) for the recruitment, training and disciplinary control of the employees of all Apex Co-operative Societies, Central or Primary societies, whose area of operation extends to more than one district or State Co-operative Bank, District or Central Cooperative Banks, Urban Co-operative Banks, District Co-operative Federations and Co-operative Milk Union:

Uttarakhand Cooperative Institutional Service Board**1. The Board shall constitute of :**

- (1) The Registrar, Co-operative Societies Uttarakhand shall be the ex-officio Chairperson of the Board.
 - (2) Two members, who shall be appointed by the State Government from among serving Class-I officers of Uttarakhand Co-operative Service officer, not below the rank of Joint Registrar.
2. Each member of the Board shall hold office for a period of three years from the date of assuming charge. This term may be extended from time to time, subject to a maximum total term of five years or until they attain the age of 60 years, whichever is earlier.
- 3 . (1) The Board shall have a Secretary and other staff, whose appointments shall be subject to approval by the State Government from time to time for functioning of Board.
- (2) The appointment of Secretary and other staff shall be made by the Board and these personnel shall be under administrative control of the Chairperson.
- Provided that the Chairperson may delegate any of his/her power pertaining to Administrative Control to any member of the Board.
- (3) The Secretary of the Board shall be an officer holding post of Deputy Registrar, Co-operative Societies Uttarakhand.
4. Emoluments of Chairperson, Member and other staff of the Board shall be determined and paid by the State Government.
5. The Chairman or a Member shall cease to hold office from the date he ceases to hold the qualification necessary for his being the Chairman or a Member as the case may be.
6. State Government may remove Chairperson or any member, if in its opinion he/she:-
- (a) is convicted of gross misconduct or dereliction of duty as Chairperson or member.
 - (b) has become of unsound mind, or has become deaf and dumb, or blind or suffers from leprosy.
 - (c) has been convicted of a moral turpitude offence.
 - (d) is in default, for a period of not less than six months, to any co-operative society in respect of any loan or loans availed by him; or is a judgment debtor.
 - (e) is holding any honorary or remunerative post in any co-operative society.

7. The Board shall undertake the training of employees only with prior approval of the State Government.

8. The Board's headquarters shall be in Dehradun, but meetings may be held at other places within the State, to carry out its functions and duties.

9. Functions of the Board:

Recruitment for all the post except class fourth category (Group D) shall be conducted by the Board.

- a. Recruitment to the post of the Class IV employees shall be made by a Selection Committee constituted by the Registrar. The Selection made by the said selection Committee and the recruitment made on its basis will be final and subject to the approval of the Board.
 - b. Recruitment for appointment in a Cooperative society shall be under the purview of the Board whether the recruitment is:
 1. Direct, or
 2. By promotion from employees already in the service of the society, or
 3. Any person on deputation who is already in the service of any other Society registered or deemed to be registered under the Act,
 - c. In order to strengthen the purity and transparency of the examination, the recruitment examination for various posts (except Class IV) in Co-operative banks would be conducted through Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) which is a recognized institute for conducting recruitment examination in the banking sector.
10. The Board shall, within three months from the constitution of the Board, make regulations regarding recruitment, emoluments, conditions of service including disciplinary control which shall be approved by the State Government.

By Order,

Dr. B.V.R.C. PURUSHOTTAM,
Secretary.

पशुपालन अनुभाग-01

कार्यालय आदेश

22 अगस्त, 2025 ई०

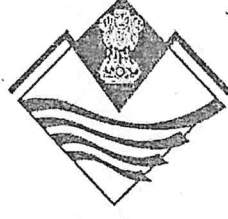
संख्या-1583/XV-1-2025-डा० कैलाश उनियाल, वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, रेफरल सेंटर, देहरादून के प्रार्थना पत्र के क्रम में निदेशक पशुपालन के पत्र संख्या: I/45284/स्था०एक/व्य०प०/2025-26, दिनांक 26.07.2025 द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर एम०जी०ओ० के पैरा 250 में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार सम्यक विचारोपरान्त डा० कैलाश उनियाल के सेवा अभिलेखों में उनका नाम 'डा० कैलाश चन्द्र' के स्थान पर 'डा० कैलाश उनियाल' किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सन्तोष बड़ोनी,
अपर सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 36 हिन्दी गजट/390-भाग 1-2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2025 ई0 (भाद्रपद 15, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

August 22, 2025

No. 272/UHC/Admin.A-2/2025--The District & Sessions Judge, Chamoli is directed to hold Camp Court at Karnprayag, District Chamoli, for one (01) week every month, until the posting of a regular Presiding Officer in the Court of Additional District & Sessions Judge, Karnprayag, District Chamoli, or till further orders, whichever is earlier.

Note:

- (A) The name of Shri Nitin Sharma, Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Dehradun, is being recommended to the State Government for assigning him the additional charge of the Presiding Officer, Labour Court, Haridwar, with the direction to preside over the Labour Court, Haridwar for three (03) days in a week, until the posting of a regular Presiding Officer in the Labour Court, Haridwar or till further orders, whichever is earlier.
- (B) The name of Shri Vinod Kumar, Additional District & Sessions Judge, Karnprayag, District Chamoli is being recommended to the State Government for being appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Vikasnagar, District Dehradun, in the vacant Court.

Above orders shall come into force after issuance of respective notifications from the State Government.

NOTIFICATION

August 22, 2025

No.273/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Indu Sharma, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

She will continue to exercise the additional charge of JJB, Udham Singh Nagar, subject to the directions of Notification No. 255/UHC/Admin.A-2/2025 dated 21.07.2025 issued by the Hon'ble Court.

No.274/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Neha Kushawaha, Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital is transferred and posted as Secretary, High Court Legal Services Committee, Nainital, vice Shri Abhishek Kumar Srivastava.

No.275/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Neeraj Kumar, 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, vice Ms. Indu Sharma.

No.276/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Ravi Ranjan, Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital is transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital, vice Ms. Neha Kushawaha.

No.277/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Beenu Gulyani, Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is repatriated, transferred and posted as Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Haridwar, in the vacant Court.

No.278/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Shama Parveen, 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is posted as 4th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, vice Shri Neeraj Kumar.

No.279/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Ramesh Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 111000-163030 (J-3).

Upon his promotion, Shri Ramesh Chandra is posted as 4th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun, in the vacant Court.

No.280/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Meenakshi Sharma, Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi is promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 111000-163030 (J-3).

Upon her promotion, Ms. Meenakshi Sharma is transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital, vice Shri Ravi Ranjan.

No.281/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Bharti Manglani, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 111000-163030 (J-3).

Upon her promotion, Ms. Bharti Manglani is transferred and posted as 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, vice Ms. Shama Parveen.

No.282/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Vishal Vashisht, Civil Judge (Jr. Div.), Doiwala, District Dehradun is promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 111000-163030 (J-3).

Upon his promotion, Shri Vishal Vashisht is transferred and posted as 5th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun, in the vacant Court.

No.283/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Aiswarya Bora, Judicial Magistrate, Bageshwar is promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 111000-163030 (J-3).

Upon her promotion, Ms. Aiswarya Bora is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar, in the vacant Court.

No.284/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Amit Bhatt, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 111000-163030 (J-3).

Upon his promotion, Shri Amit Bhatt is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal, in the vacant Court.

Note:

- (A) The name of Shri Abhishek Kumar Srivastava, Secretary, High Court Legal Services Committee is being recommended to the State Government for his posting as OSD/Deputy Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital, in the vacant post.
- (B) Ms. Parul Thapliyal, Judicial Magistrate-I, Haldwani, District Nainital is promoted to the Cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 111000-163030 (J-3).

Upon her promotion, the name of Ms. Parul Thapliyal is being recommended to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for her posting as Secretary, District Legal Services Authority, Nainital, vice Ms. Beenu Gulyani.

Above orders shall come into force after issuance of posting notification of Shri Abhishek Kumar Srivastava as OSD/Deputy Secretary, SLISA, from the State Government and notification of posting of Ms. Parul Thapliyal as Secretary, DLSA, Nainital from the Uttarakhand SLISA.

NOTIFICATION

August 22, 2025

No.285/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Kalpana, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Shri Ramesh Chandra.

No.286/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Prakash Chandra, Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Bharti Manglani.

No.287/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Shalini Dadar, Civil Judge (Jr. Div.), Bhikiyasen, District Almora is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi, vice Shri Prakash Chandra.

No.288/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Sanchi Agrawal, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Bazpur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Doiwala, District Dehradun, vice Shri Vishal Vashisht.

No.289/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Shubhangi Gupta, Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital is posted as Judicial Magistrate-I, Haldwani, District Nainital, vice. Ms. Parul Thapliyal.

No.290/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Ashish Tiwari, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar is transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, vice Shri Amit Bhatt.

No.291/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Avantika Singh Chaudhary, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar, vice Shri Ashish Tiwari.

No.292/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Vivek Sharma, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Purola, District Uttarkashi, vice Ms. Meenakshi Sharma.

No.293/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Upadhi Singhal, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Haridwar, vice Ms. Avantika Singh Chaudhary.

No.294/UHC/Admin.A-2/2025

Shri Ishank, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Ms. Kalpana.

No.295/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Hina Kousar, 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Shri Vivek Sharma.

No.296/UHC/Admin.A-2/2025

Ms. Nancy Chhabra, 5th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Shri Ishank.

No.297/UHC/Admin.A-2/2025

Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar is given additional charge of the Court of Judicial Magistrate, Bageshwar, until posting of a regular Presiding Officer in the Court of Judicial Magistrate, Bageshwar or till further orders, whichever is earlier.

No.298/UHC/Admin.A-2/2025

Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, District Almora is directed to hold Camp Court at Bhikiyasen, District Almora for two (02) days in a week, until posting of a regular Presiding Officer in the Court of Civil Judge (Jr. Div.) Bhikiyasen, District Almora or till further orders, whichever is earlier.

The above orders shall come into force on handing over charge by the promoted officers from their present posts of Civil Judge (Jr. Div.) Cadre.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

14 अगस्त, 2025 ई0

पत्रांक 1110/निलम्बन/2025—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह अगस्त, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री गुरुप्रीत सिंह पुत्र श्री जसविंदर सिंह, ग्राम मुसा कोनी, अमरिया, पीलीभीत, उ.प्र.	UP-2620160010147	प्रवर्तन दल, टनकपुर	प्रेसर हार्न का प्रयोग करने।	दिनांक 14.08. 2025 से दिनांक 13.11.2025 तक
2	श्री बाला दत्त चौडाकोटी पुत्र श्री शिरोमणी, सुखीडांग, जौल, पुर्णागिरी, जनपद चम्पावत।	UK-0320240006423	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री भोला नाथ पुत्र श्री तुला राम, लाल ईमली पडाव, वार्ड नं. 04, पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320150027191	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री राजेश कुमार गंगवार पुत्र श्री राधेश्याम गंगवार, मोहनपुर उर्फ रामनगर, नियर मोबाइल टावर बिठारी, बरेली, उ.प्र.।	UP-2520020008962	प्रवर्तन दल, टनकपुर	प्रेसर हार्न का प्रयोग करने।	उपरोक्तानुसार
5	श्री अयुब खान पुत्र श्री अमरुद्दीन, भूड महोलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UP26-20120003167	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री नरेश चन्द्र पुत्र श्री महादेव, ग्राम खाला, पोस्ट धौन, जनपद चम्पावत।	UK-0320160030639	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम प्रसाद, म.न. 65, ग्राम गैडाखाली नं.- 03, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320130016357	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

सुरेन्द्र कुमार,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर चम्पावत।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2025 ई0 (भाद्रपद 15, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

Gazette Publication Notice

In Aadhaar Card No. 8073 1642 4046, PAN Card No. ATJPJ5568Q, my name is recorded as **VIJAY KAILASH JOGDANDE**, whereas in my academic record it is recorded as **Jogdande Vijay Kumar K, Jogdande Vijay Kumar K T, Jogdande Vijay Kumar Kailash**. All the names and **VIJAY KAILASH JOGDANDE** belong to one and the same person. In future, I may kindly be recognized and called by both the aforesaid names.

All legal formalities in this regard have been duly completed by me.

(**VIJAY KAILASH JOGDANDE**)

Resident of A-5, Tehri House,
Officers Colony, Rajpur Road,
Dehradun, Uttarakhand.

Gazette Publication Notice

In Aadhaar Card No. 9420 5748 8899, PAN Card No. CPSPS9221L, my name is recorded as **SHRADDHA BALKRISHNA SANGLE**, whereas in my academic record it is recorded as **SANGLE SHRADDHA BALKRISHNA**. Both the names and **SHRADDHA BALKRISHNA SANGLE** belong to one and the same person. In future, I may kindly be recognized and called by both the aforesaid names.

All legal formalities in this regard have been duly completed by me.

(Shraddha Balkrishna Sangle)

W/o Vijay Kailash Jogdande
Resident of A-5, Tehri House,
Officers Colony, Rajpur Road,
Dehradun, Uttarakhand.

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 650709882559 में उसका घरेलू नाम नयरा भारद्वाज (Nayra Bhardwaj) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वेदिका भारद्वाज (Vedika Bhardwaj) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र सं० B-2021:5-90069-002802 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को वेदिका भारद्वाज (Vedika Bhardwaj) पुत्री तपोनिधि के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

तपोनिधि

निवासी-7/2, लिथो प्रेस कालोनी,
रामनगर, रुड़की हरिद्वार।

सूचना

मेरी पुत्र के आधार कार्ड सं. 494485209620 में त्रुटिवश उसका गलत नाम अयन रावत (AYAN RAWAT) दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अयांश रावत (AYAANSH RAWAT) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र संख्या B-2016:5-90067-000383 में दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को अयांश रावत (AYAANSH RAWAT) पुत्र अशोक रावत के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अशोक रावत

निवासी नई पीर बाबा कॉलोनी, रुड़की,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247667

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम नीलम पाण्डेय (NEELAM PANDEY) से बदलकर NEELM SINHA कर लिया है। जो मेरे पति के आर्मी के पी0पी0ओ0 नं0 205200103691 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे NEELM SINHA W/O LATE RAJESHWAR KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नीलम पाण्डेय (NEELAM PANDEY) (मौजूदा पुराना नाम)
W/O LATE RAJESHWAR KUMAR
निवासी—ग20/ए, दुर्गा कॉलोनी जलालपुर रुड़की
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 326676118378 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम शिवी सैनी (Shivi Saini) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम देवांशी सैनी (Devanshi Saini) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र पंजीकरण सं. 36 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को देवांशी सैनी (Devanshi Saini) पुत्री विजय कुमार सैनी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विजय कुमार सैनी
निवासी—नई मण्डी, झबरेडा,
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 901588881058 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम महिमा खन्ना गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम राधिका खन्ना है। जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र पंजीकरण सं0 33 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को राधिका खन्ना पुत्री श्री विनोद खन्ना के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विनोद खन्ना
निवासी—257, ईस्ट अम्बर तालाब रुड़की
जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 267921017737 में त्रुटिवश उसका नाम हर्ष भास्कर (Harsh Bhaskar) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का सही नाम हर्षवर्धन सिंह (Harshvardhan Singh) है। जो उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 25123417 व जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 07 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को हर्षवर्धन सिंह (Harshvardhan Singh) पुत्र श्री प्रमोद कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रमोद कुमार

निवासी बहादुरपुर जट हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 416614970809 में त्रुटिवश मेरा नाम विमला गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम बिमला देवी है। जो मेरे स्व० पति ओम प्रकाश के पी०पी०ओ० में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे बिमला देवी पत्नी स्व० ओम प्रकाश के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बिमला देवी पत्नी स्व० ओम प्रकाश

निवासी-सी 4 सुभाषनगर हरिद्वार

उत्तराखण्ड

सूचना

मेरी एल०आई०सी पॉलिसी सं० 272119157 में मेरा घरेलू नाम (RITESH YADAV) दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम अभिनव यादव (ABHINAV YADAV) हैं। जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० 5747 व हाईस्कूल अनुक्रमांक 25125095 व अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज हैं। भविष्य में मुझे अभिनव यादव (ABHINAV YADAV) पुत्र श्री सुबोध कुमार यादव के नाम जाना व पुकारा जाए। निवासी-129, चन्द्रपुरी रिक्शास्टैंड के पास पूर्वा दीन दयाल रुड़की जिला-हरिद्वार उत्तराखण्ड।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अभिनव यादव पुत्र सुबोध कुमार यादव

129 पूर्वा दीन दयाल रुड़की जनपद-हरिद्वार

उत्तराखण्ड पिन-247667

सूचना

I, Romil Kumar S/O Sher Singh R/O Rangharwala, Ranchhadwala, Haridwar, Uttarakhand-247667, Have Changed The Name of My Minor Son Namely Aarav Chaudhary (Aged 7 Years) And He Shall Hereafter Be Known As Shreyansh Chaudhary For All Future Purposes.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Romil Kumar S/O Sher Singh
R/O Rangharwala, Ranchhadwala,
Haridwar, Uttarakhand-247667

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम वीना देवी (Veena Devi) से बदलकर बीना कुमारी (Bina Kumari) कर लिया है। जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK25ES0100286791 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे बीना कुमारी (Bina Kumari) पत्नी स्व० कुलदीप सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

वीना देवी (Veena Devi) (मौजूदा पुराना नाम)
पत्नी स्व० कुलदीप सिंह
निवासी-वॉर्ड 12, फतेहुपर ग्रान्ट हरबर्टपुर
देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड (889069982386) में पुत्री का नाम पाखी शर्मा व पूर्व पता हा. न. 236 द्वारिकापुरी मुजफ्फरनगर उ. प्रदेश गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का सही नाम तोशानी शर्मा व सही हाल पता शिव गंगा एन्क्लेव लेन न. 4 बी ब्लॉक सहस्त्रधारा रोड निकट आई.टी. पार्क, देहरादून उत्तराखण्ड है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम व सही पते से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

परितोष शर्मा निवासी शिव गंगा एन्क्लेव
लेन न. 4 बी ब्लॉक सहस्त्रधारा रोड
निकट आई.टी. पार्क देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं नवजोत सिंह मल्होत्रा मेरे देहली पब्लिक स्कूल देहरादून CBSE के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25108449 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25606826 में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम मनजीत सिंह मल्होत्रा गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पिता का सही नाम मनजीत सिंह है। जो मेरे पासपोर्ट नं0 U6913586 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे नवजोत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री मनजीत सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नवजोत सिंह मल्होत्रा पुत्र श्री मनजीत सिंह
निवासी—हाउस नं0 855/7 आई.टी.बी.पी.
सीमादवार के पास इन्दिरा नगर दे0दून
उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं पार्वती देवी W/O LATE HUKUM SINGH PANWAR आर्मी नं0 4061059P रैंक EX HAV नाम LATE HUKAM SINGH PANWAR निवास लोअर नत्थनपुर पो0ओ0 नेहरूग्राम जिला देहरादून उत्तराखण्ड पति के अभिलेखों में मेरे पुत्र का नाम SURENDRA SINGH है जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम SUNDAR SINGH PANWAR है जो उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 5171474 व आधार कार्ड नं0 783296935215 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को SUNDAR SINGH PANWAR के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पार्वती देवी
W/O LATE HUKUM SINGH PANWAR
निवास लोअर नत्थनपुर पो0ओ0 नेहरूग्राम
जिला देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 287208857358 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम अभि आहूजा (ABHI AHUJA) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम ओम आहूजा (OM AHUJA) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं0 4645 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को ओम आहूजा (OM AHUJA) पुत्र मोन्टी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मोन्टी
निवासी—श्री गणेश बहावलपुर धर्मशाला, रामलीला
ग्राउंड, भाटिया भवन फेज-1, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधारकार्ड संख्या 9681 2819 5142 में उसका नाम Samilkccha गलत दर्ज हो गया है, जबकि उसका सही नाम Sameeksha Pokhriyal (समीक्षा पोखरियाल) है। भविष्य में सही माना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह
निवासी भट्टोवाला रोड, कुंजापुरी
कॉलोनी, श्यामपुर, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 318504061815 एवं पेन कार्ड नं० FIFPA1435M में त्रुटिवश मेरा नाम इन्दू देवी अंथवाल (Indu Devi Anthwal) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम इन्द्रा देवी (Indra Devi) है। जोकि मेरे पति के समस्त सेवा अभिलेखों एवं पी०पी०ओ० संख्या UCI/048/7796 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मुझे इन्द्रा देवी (Indra Devi) पत्नी रतनमणि अन्थवाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

इन्द्रा देवी (Indra Devi) पत्नी रतनमणि अंथवाल
निवासी—नजदीक चीनी गोदाम, अमित ग्राम,
गुमानीवाला, ऋषिकेश, गुमानीवाला, देहरादून
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 768319555057 में त्रुटिवश मेरा नाम वचनी देवी (VACHANI DEVI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम बचना देवी (BACHNA DEVI) है। जो मेरे पति स्व० मनी राम के पी०पी०ओ० नं० 0198080162 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे बचना देवी (BACHNA DEVI) पत्नी स्व० मनी राम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

बचना देवी (BACHNA DEVI) पत्नी स्व० मनी राम
निवासी—109, कारगी ग्रांट देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र Akash Chaudhary व Vikash Chaudhary के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों में मेरा सही नाम Gayatri Devi दर्ज है। जबकि मेरे आधार कार्ड नं. 994759925902 में त्रुटिवश मेरा नाम उर्मिला (Urmila) दर्ज हो गया है। भविष्य में मुझे गायत्री देवी (Gayatri Devi) W/o Anil Kumar के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गायत्री देवी (Gayatri Devi) W/o Anil Kumar
निवासी—भट्टो रोड, गुमानीवाला ऋषिकेश

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 309131382078 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम भवषी (Bhawashi) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम भूमिका (Bhoomika) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 07 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को भूमिका (Bhoomika) पुत्री विपिन कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विपिन कुमार
निवासी—गांव अलीपुर इब्राहिमपुर उर्फ इक्कड़
बहादुराबाद, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधारकार्ड 9616 4032 3033 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम समीना (SAMEENA) दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम एल्फी (ALPHY) है जो मेरे जन्मप्रमाण पत्र पंजीकरण सं०—B2024055004170000002 व हाई स्कूल NIQUE ID 8217021 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे एल्फी (ALPHY) पुत्री इस्माईल अली के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

एल्फी (ALPHY) पुत्री इस्माईल अली
निवासी ग्राम—बग्याल गाँव उत्तरकाशी,
उत्तराखण्ड।